

मानसून के दौरान तत्काल कार्य करने हेतु अधिकारियों को हिदायत

आने वाले मानसून एवं आगामी दिनों होने वाले भारी वर्षा से विभिन्न स्थलों पर विशेषकर नीचले आवासीय कॉलोनी एवं क्षेत्रों में वर्षा-जल के जमाव के कारण होने क्षति एवं नुकसान को रोकने हेतु संचित जल की निकासी हेतु उचित पंप निकास की जरूरतों के मद्देनजर माननीय समाहर्ता, द्वारा दीव द्वारा सभी संबंधित विभागों को निदेश दिया गया है कि वे मशीनी उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्रक्स, डंपर्स, जेसीबी एवं पंप सेट आदि को तैयार एवं काम में लाने की स्थिति में रखें, ताकि मानसून के दौरान होने वाले किसी भी अवांछनीय घटना से बचा जा सके । साथ ही उन्हें यही भी निदेश दी जा रहा है कि पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं अन्य अधिकारियों/पदाधिकारियों द्वारा भेजे गए आपात कॉल एवं एसएमएस पर तत्काल कार्रवाई करें एवं उनसे हमेशा संपर्क में रहें ।

इस अनुदेश का उल्लंघन करने पर गंभीरता से लिया जाएगा ।

(विनोद पी. कावेल)

समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव द्वारा जारी
निदेशानुसार